

म. नि. के. नि. (प. ५६)  
पत्रावली देण हई। वकील पक्षकारान  
अपरिचित। पत्रावली गत आदेशानुसार  
दिनांक ५/११/२५ का पे  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़

25/11/24

पत्रावली देण हई। वकील पक्षकारान  
अपरिचित। पत्रावली गत आदेशानुसार  
दिनांक 18/12/24 को देण हो।  
४

18/12/24

पत्नी काजी / काफेड को काबाज लगाई गई।  
पत्र अनुपस्थित है। काफेड इंग्लैंड की कठुपस्थित है।  
उत्तर 9-11-2022 से इस मामला लप से दर्ज है।  
वकील काफेड इंग्लैंड समुचित रूप से तलबना पेश  
नहीं किया जा रहा है।

लिखना उक्त या. पत्र अदालत घन्टी अदालत  
पैरों को छोड़ दिया जाता है। पत्रावली फिल  
भुमा से काबाज है रूप से काबाज नकलील जाण  
वाजिल रहता है।

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़ (इन्चार्ज)

द्वे  
प्रदान  
26/3/24

दिनांक 6/1/23  
पत्रावली काबाज